इकाई 16 हिंसा और आतंकवाद

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 हिंसा और आतंकवाद की अवधारणा

16.3 हिंसा और आतंकवाद के कारण व रूप

16.3.1 कारण

16.3.2 रूप

16.4 राजनीति और आतंकवाद

16.4.1 हिंसा और कानून

16.5 जातीय पहचान और हिंसा

16.5.1 राज्य हिंसा और मानव अधिकार

16.5.2 हिंसा से निपटने के उपाय

16.5.3 आतंकवाद से निपटने के उपाय

16.6 सारांश

16.7 शब्दावली

16.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

16.0 उद्देश्य

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आपको ऐसी जानकारी देना है जिससे आप :

- हिंसा और आतंकवाद की अवधारणा स्पष्ट कर सकेंगे;
- हिंसा के कारणों और इसके बदलते हुए रूपों की चर्चा कर सकेंगे;
- राजनीतिक हिंसा और असंतुलित विकास के बीच संबंध का विश्लेषण कर सकेंगे;
- सजातीय और हिंसा का वर्णन कर सकेंगे; और
- कमजोर वर्गों के खिलाफ़ हिंसा का वर्णन कर सकेंगे।

16.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में हमने मादक द्रव्यों के व्यसन (Drug addiction) और शराब के व्यसन (Alcoholism) का वर्णन और विश्लेषण किया था। जब हम हिंसा और आतंकवाद का विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले हम हिंसा की अवधारणा का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद आतंकवाद का विश्लेषण करेंगे। फिर हम हिंसा और आतंकवाद के कारणों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद राजनीति और आतंकवाद पर चर्चा करेंगे। अलग विश्लेषण असंतुलित विकास के संदर्भ में हिंसा

के बारे में किया गया है, जो राजनीति और आतंकवाद से जुड़ा है। तदोपरांत जातीय पहचान और हिंसा पर चर्चा की गई है। इस विषय का एक पहलू राज्य हिंसा और मानव अधिकार है। इसके बाद हिंसा से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई है और अंत में, आतंकवाद का मुकाबला करने के उपायों का उल्लेख किया गया है। आइए, अब हम अपनी इकाई शुरू करें।

16.2 हिंसा और आतंकवाद की अवधारणा

हिंसा उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव इतिहास। प्राचीन कथाओं तथा दन्त कथाओं में इसे इतिहास के प्रारंभ से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है और हमेशा कथा नायकों के शौर्यपूर्ण कार्यों के रूप में देखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से, हिंसा को ''मानवीय घटना'' के रूप में माना जाता है। दर्शनशास्त्रीय कोश की परिभाषा के अनुसार – हिंसा ''शक्ति का नाजायज या (सभी घटनाओं में) गैर-कानूनी प्रयोग है। यह लोकतांत्रिक भावना के विकास का फल है।" हिंसा वह घटना है जो आजादी और खुशी की विरोधी है। इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। परंतु यह एक मानवीय, मानवेत्तर व्यवहार का एक पहलू बना रहता है और कभी-कभी यह हिंसा के विरुद्ध स्वयं अंतिम उपाय सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में, हिंसा दूसरों की आज़ादी का अतिक्रमण है। किसी व्यक्ति या समूह से किसी ऐसी वस्तु को जिसे वे अपनी इच्छा से नहीं देना चाहते हैं, प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करना हिंसा है।

बलात्कार सदा ही इसका स्पष्ट उदाहरण है और इसे हिंसा का पूर्ण रूप माना गया है क्योंकि इसे बलपूर्वक किया जाता है। हिंसा भयभीत करने वाली होती है। मगर साथ ही यह आकर्षक भी है क्योंकि इससे बलवान व्यक्ति या वर्ग कमजोर व्यक्ति या वर्ग को अधिक हानि पहुँचाए बिना उसके साथ लाभदायक संबंध स्थापित कर सकता है।

हिंसा के कई अर्थ हैं। फिर भी, हाल ही में, किए गए अध्ययन (मैकेंजी, 1975 पृष्ठ 39) के अनुसार – हिंसा ''व्यक्तियों या सम्पत्ति को चोट पहुँचाने अथवा हानि करवाने के लिए शारीरिक शक्ति को प्रयोग, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कार्य अथवा आचरण, शारीरिक क्षति पहुँचाने के लिए व्यवहार अथवा कार्य अथवा व्यक्तिगत आजादी में जबरन हस्तक्षेप'' है।

हिंसा को ''मनोविकारी व्यवहार'' समझा जाता है। तीन-स्तरीय वर्गीकरण के अनुसार हिंसा इतने प्रकार की होती है :

i) अशांति जैसे दंगे, राजनीतिक हड़तालें

ii) षडयंत्र जैसे छोटे पैमाने पर आतंकवाद, राजनीतिक हत्याएँ

iii) आंतरिक युद्ध जैसे सुसंगठित राजनीतिक हिंसा।

हिंसा के निम्न कारण है :

i) कुंठा-क्रोध सिद्धांत मानता है कि हिंसा कुंठाजनित क्रोध के कारण होती है।

ii) सापेक्ष वंचन सिद्धांत (गर्र, 1970) के अनुसार कि वंचना आदमी को कुछ कर गुजरने के लिए उकसाती है।

iii) यह विश्वास किया जाता है कि क्रांतिकारी हिंसा तब भड़कती है, जब उपलब्धि के अभाव के कारण कुंठा स्वत: उग्र रूप ले लेती है। इन्हें अधिकतर आधी-अधूरी आकांक्षाओं के सफल बनाने की उम्मीद से बढ़ावा मिलता है।

iv) कुछ विद्वान व्यवस्थाजन्य कुंठा के बारे में बात करते हैं। इस तरह की कुंठा को समूचा समाज अनुभव करता है। इन कुंठाओं के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है।

v) अन्य विद्वान महसूस करते हैं कि व्यावहारिक राजनीतिक संस्थाओं का अभाव हिंसा पर लगाम लगाने की इजाज़त नहीं देता है, विशेषकर जब कोई समाज परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा हो। संक्रमणकालीन समाजों में क्रांति और बगावत आम बात है।

ये सभी सिद्धांत स्थायी राजनीतिक व्यवस्थाओं की अभिधारणा पर आधारित हैं। ये परिवर्तन की अपेक्षा स्थायित्व पर अधिक विश्वास करते हैं। इसके अलावा, ये अनौपनिवेशीकरण पर कोई प्रकाश नहीं डालते जो कि आज के संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण है।

अनौपनिवेशीकरण से व्यापक हिंसा भड़कती है। जैसा कि फेनॉन ने कहा है कि हिंसा भावोन्नयन तथा परिवर्तन की अग्रदूत दोनों हो सकती है। उसके (फेनॉन 1965) के अनुसार उपनिवेश से जकड़ा व्यक्ति हिंसा में आज़ादी ढूँढता है। इसे परिमार्जनी शक्ति के रूप में देखा जाता है।

यद्यपि समाज में हिंसा अनादिकाल से विद्यमान रही है, फिर भी, हाल ही के वर्षों में आतंकवाद की समस्या के उभरने से यह एक ज्वलन्त विषय बन गया है। समाचार-पत्रों के प्रमुख समाचार, टेलीविज़न के बुलेटिन और रेडियो प्रसारण हमें बताते हैं कि किस प्रकार लोगों को गोलियों से भूना गया, उन्हें घायल किया गया, बहुत से विमानों का यात्रियों सहित अपहरण किया गया, बैंक लूटे गए आदि-आदि। तस्वीरों में मृतकों और घायलों को दिखाया जाता है। इनमें नष्ट की गई सम्पत्ति आतंकवादियों आदि से पकड़े गए हथियार और गोला-बारूद दिखाए जाते हैं।

पिछले तीन दशकों के दौरान आतंकवाद की समस्या कई गुना बढ़ी है। आतंकवाद की परिभाषा किस की प्रकार से की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी परिभाषा इस प्रकार की गई है : ''हिंसा अथवा धमकी के वे कार्य जिनका लक्ष्य किसी राज्य अथवा संगठन के हितों की क्षति पहुँचाना अथवा उससे रियायत पाने की मंशा हो''। दूसरी परिभाषा यह है : ''आतंकवाद हिंसा की धमकी, हिंसा के व्यक्तिश: कार्य अथवा मुख्य रूप से आतंकित करने के लिए हिंसात्मक अभियान है।''

परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए यह अच्छा होगा कि हम आतंकवाद के कुछ उदाहरण दें क्योंकि उनसे आतंकवाद को बेहतर ढंग से बताया जा सकता है। 17 दिसम्बर, 1953 को लंदन में हरॉड्रस के बाहर कार बम-विस्फोट हुआ। छह लोग मारे गए और 94 घायल हुए। पॉल कारनॉफ जो बैल्फास्ट का रहने वाला था, पर इस बम-विस्फोट का अभियोग लगाया गया। उसने पहले पाँच बार षड्यंत्र किया था। यह कार्रवाई आई.आर.ए. (आइरिश रिपब्लिक आर्मी) ने की थी और बिना किसी उद्देश्य के क्रिसमस की खरीदारी पर निकले लोगों को निशाना बनाया गया था। प्रत्यक्ष रूप से यह कार्रवाई राजनीतिक नहीं थी। इसका इरादा केवल आई. आर.ए. की मुहीम को जाहिर करना और उत्तरी आयरलैंड से इंग्लैण्ड की वापसी की माँग करना था।

दूसरा मामला पेरू का माओवादी गुरिल्ला आंदोलन शाइनिंग पाथ का है। सन् 1980 से वे शहरों में श्वेत लोगों के ठिकानों और पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण करते रहे हैं। वे बिजली की लाइनें उड़ाते और सेना की टुकड़ियों पर भी आक्रमण करते रहे हैं।

गुरिल्लाओं की संख्या अनिश्चित होती है – यह सैकड़ों से हज़ारों तक हो सकती है। ये लोग सुरक्षित गाँवों को हथियाने के लिए जाने जाते हैं। ये मुकदमे चलाते हैं, जिसे वे ''जन अदालत'' कहते हैं। उन्होंने इन गाँवों में प्रशासनिक कार्मिकों को प्राणदंड दिए हैं। राष्ट्रपति बेलॉण्डे टेरी द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के फलस्वरूप बहुत से गुरिल्ला हताहत हुए। मगर, चार वर्षों के बाद भी शाइनिंग पाथ के कार्यकर्त्ताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है।

आतंकवाद एक प्राचीन प्रचलन है। आतंकवादी भय या आतंक को एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे वे बहुधा बहुत से लोगों को चालाकी से प्रभावित करने तथा भयभीत करने में सफल हुए हैं। हिंसा के प्रभावों की आमतौर पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

आतंकवादियों के कई उद्देश्य होते हैं। वे कहते हैं कि वे आय के असमान वितरण के विरुद्ध लड़ रहे हैं। फिर भी उनमें से अधिकांश डकैतों से कम नहीं होते और वे इसमें लूट के हिस्सेदार बनने के लिए शामिल होते हैं। यह एक प्रकार की व्यक्तिगत कुंठा भी है। कुछ आतंकवादी मानसिक रूप से विकृत होते हैं। उन्हें निर्दोष लोगों की हत्या करने में आनन्द मिलता है, जैसे लिड्डा हवाई अड्डे में हुए जनसंहार में लिप्त आतंकवादी ओकामोटो जो अभी तक जिंदा है।

आतंकवादी विस्मयकारी और नृशंस तरीकों का इस्मेमाल करते हैं। अगर उनके हाथ परमाणु हथियार पड़ जाएँ, तो सोचिए क्या होगा, तो कितनी नृशंस हत्याएँ होंगी।

अब तक हुई चर्चा से हम उन कुछ कार्यों को आतंकवादी गतिविधि कह सकते हैं ये गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :

i) हत्या, आगजनी, अपहरण, तोड़फोड़ आदि करने के लिए धमकी अथवा हिंसा का प्रयोग

ii) ऐसे कार्य के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य

iii) कतिपय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को आतंकित करना और उन पर दबाव डालना

iv) महत्त्वपूर्ण लक्ष्य चुनना, और

v) उनकी गतिविधियों की कोई सीमा नहीं है।

16.3 हिंसा और आतंकवाद के कारण व रूप

आतंकवाद और हिंसा विघटनकारी सामाजिक घटना है। इसका जन्म एक-दूसरे से जुड़े विभिन्न कारकों से होता है भिन्न-भिन्न प्रकार के समाजों में हिंसा और आतंकवाद के विशेष रूप होते हैं। आगे के उपभागों में हम आपसे इस सामाजिक घटना के विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, कारणों और रूपों पर बात करेंगे।

16.3.1 कारण

जहाँ तक कारणों का संबंध है, अमेरिका में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि प्रकृति ने हमें हिंसा की केवल क्षमता प्रदान की है। यह सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जो निर्धारित करती हैं कि हम उस क्षमता का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अध्ययनों से यह भी मालूम होता है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में हिंसा और अस्थिरता बहुत अधिक है। इन देशों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं, परंतु अभी व्यवहार्य राजनीतिक संस्थाएँ विकसित की जानी है। परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता के लिए कम प्रवृत्त होते हैं। संक्रमणकालीन समाजों में सैनिक सत्ता परिवर्तन, बगावत, गुरिल्ला युद्ध और हत्याएँ आम बात हैं।

बहुत से समाजशास्त्रियों का विचार है कि लोगों में वंचना के फलस्वरूप असंतोष पैदा होता है और जब इसका राजनीतिकरण हो जाता है, तो यह असंतोष हिंसा के रूप में प्रकट किया जाता है। इस घटना को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है :

वंचना
↓
असंतोष की वृद्धि
↓
असंतोष का राजनीतिकरण
↓
हिंसा के रूप में असंतोष की अभिव्यक्ति

वंचना, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोज़गार के अवसरों अथवा शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के ज़रियों के अभाव के रूप में हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि नौकरी पाने के लिए कानूनी साधन उपलब्ध नहीं है तो लोग हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं आदि के अवैध व्यापार को अपना सकते हैं। यदि इन अवैध कार्यों को रोका नहीं जाता है, तो अन्य समस्याएँ उत्पन्न होंगी। भिन्न-भिन्न स्तरों पर वंचना महसूस की जाएगी और यह भावना पैदा होगी कि स्थिति से निपटने के लिए राजनीतिक व्यवस्था असक्षम है। वंचन के फलस्वरूप असंतोष हो सकता है। हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, मोर्चा आदि के रूप में असंतोष प्रकट हो सकता है। यदि ये तरीके राज्य का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके तो ग़ैर-परंपरागत तरीके अपनाए जाने की संभावना हो सकती है। कभी-कभी इन माँगों का राजनीतिकरण होता है। जब ऐसा होता है तो कानूनी प्रक्रिया को ताक में रखा जा सकता है।

इस अवसर पर हत्या, बैंक डकैती, व्यक्तिगत सम्पत्ति की लूटपाट, अपहरण आदि तरीकों में असंतोष की अभिव्यक्ति होती है। निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं से लोगों में भय फैलता है। राजनीतिक कारणों से बंदी व्यक्तियों की रिहाई से आतंकवादियों को स्थिति का लाभ उठाने का मौका मिलता है।

तथापि, धार्मिक कट्टरवाद और अन्य धर्मों के प्रति बढ़ती सहिष्णुता अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के उद्गमन और पोषण के लिए एक निर्णायक कारक बन गए हैं। धार्मिक मतारोपण ने ही 'नब्बे के दशक में तालिबान के उदय, मध्य पूर्व में अलक़ायदा बलों, 11 सितम्बर 1999 को अमेरिका में विश्व व्यापार केन्द्र पर, 12 दिसम्बर 1999 को भारतीय संसद और विश्व की अनेक राज्य राजधानियों में विदेशी दूतावासों व उच्च उपयोग पर हमलों ने भूमण्डलीय आतंकवाद के उदय को इंगित किया है। भूमण्डलीय आतंकवाद ने विश्व के लोकतंत्र की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है। भूमण्डलीय आतंकवाद के उदय के साथ ही सीमा-पार आतंकवाद की भी दृश्यघटना सामने हैं, जिसका भारत एक भुक्तभोगी है। यहाँ सीमा-पार पड़ौसी देशों में आतंकवादियों का प्रशिक्षित किया जाता है ताकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर कर सकें। तदनुसार, भूमण्डलीय आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का नारा लगाया जाता रहा है। वस्तुत: सीमा-पार आतंकवाद भूमण्डलीय आतंकवाद का ही एक हिस्सा है। दुर्भाग्यवश, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में वे राज्य जो स्वयं भी गुप्त रूप से आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, इस प्रकार की लड़ाई को समाप्त करने में लगे हैं। इस संबंध में, दुर्भाग्यवश आतंकवाद पश्चिमी देशों द्वारा एकरूपता के साथ परिभाषित नहीं किया गया है, जो कि इस लड़ाई में आगे हैं।

स्थानीय स्तर पर, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड व अन्य कई राज्यों में माओवादी आतंकवादियों के हमले देखने में आते रहे हैं। विभिन्न नृजातीय समूहों के नेतृत्व में क्षेत्रीय प्रकार का आतंकवाद भी देखने में आया है।

16.3.2 रूप

पिछली तीन शताब्दियों के दौरान हिंसा और आतंकवाद प्रमुख मुद्दा बना रहा है। हिंसा शब्द प्रयोग तरह-तरह से हुआ है। जैसे :

i) हिंसात्मक अपराध (शारीरिक हमला अथवा उसकी धमकी)

ii) सड़कों पर हिंसा (उकसाव, प्रदर्शन, पुलिस हिंसा, समर्थकों द्वारा प्रतिहिंसा, आंतरिक युद्ध)

iii) आत्म हिंसा (आत्महत्या, शराब का व्यसन, नशा आदि)

iv) वाहन दुर्घटनाओं से होनी वाली हिंसा

v) संचार माध्यमों में हिंसा (लक्षण समष्टि : हिंसा के सनसनीखोज समाचार अथवा वृत्तांत जिनमें आगे और हिंसा भड़क सकती है)

vi सामाजिक हिंसा (सहनशीलता का दमन)।

सोचिए और करिए 1

यदि संभव हो तो आतंकवाद और हिंसा पर चार सप्ताहों के समाचार-पत्रों या पत्र-पत्रिकाओं की कतरनें एकत्र कीजिए। उनका अध्ययन कीजिए और नोट कीजिए :

i) हिंसा की किस्म

ii) आतंकवाद की किस्म

अपने अध्ययन केन्द्र के अन्य छात्रों से अपनी टिप्पणियों का मिलान कीजिए।

हालाँकि हिंसा अत्यंत भयभीत करने वाली हैं और कभी-कभी निन्दात्मक भी, परंतु तब कम निन्दात्मक होती है जब वह किसी समुदाय में लम्बे समय तक प्रचलित रही हो। ऐसा तब अधिक होता है, जब इसे प्रतिष्ठित संस्थाओं या विचारधाराओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इसकी व्याख्या हिंसा की अतिसंवेदनशीलता के रूप में की जाती है। हिंसा के प्रति अतिसंवेदनशीलता और सहनशीलता हाल ही की घटनाएँ हैं, या कहें कि इसे हाल ही में अति महत्त्वपूर्ण आयाम मिला है।

वास्तव में या आतंकवाद से निपटने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। भारत सहित कुछ देशों में औपनिवेशिक शासकों के दमनकारी कृत्यों को झेला है और रंग-भेद सरकारें आतंकपूर्ण रही हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम आतंकपूर्ण कहा जा सकता है।

16.4 राजनीति और आतंकवाद

निरंकुश राज्य हिंसा का प्रयोग शासन की एक प्रणाली के रूप में करते हैं। परंतु लोकतंत्र इसका प्रयोग केवल संकट काल में ही करता हैं, तब वे मानव अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय परिपाटी की भी अनदेखी कर देते हैं। सरकार स्थिति की गंभीरता का मूल्यांकन करती है और ऐसी स्थिति में दुरुपयोग भी संभव हो सकता है। 'संकट' शब्द में शासन व्यवस्था को धमकी शामिल है। दुर्बल और निराशाजनक लोकतंत्र में सत्तारूढ़ सत्ता में बने रहने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हिंसा को भी जारी रखते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए शासक जब उस स्थिति पर पहुँचते हैं जिस पर उनके समर्थक उन्हें छोड़ दें या वे अल्पमत में हो जाएँ तो वे लोकतंत्र को ही ध्वस्त कर देते हैं। पीछे से सेना उनकी सहायता करती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक संविधान में ऐसे उपबंध होते हैं जिनके अंतर्गत सरकार विशेष शक्तियाँ ग्रहण करती हैं। यहाँ भी सत्ता का दुरुपयोग होने का खतरा रहता है।

आतंकवाद प्रदेश अथवा राज्य के लोगों को हतोत्साहित करता है। यद्यपि कुछ अवसरों पर यह एकता करने वाला कारक सिद्ध होता है। फिर भी, आतंकवाद हमेशा कानून और व्यवस्था की समस्या बनाए रखता है। तो भी यह संपूर्ण सामाजिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने में सक्षम नहीं हुए हैं। आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं से राजनीतिक ढाँचा नहीं बदलता है। फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। वे किसी न किसी हिस्से को कमजोर करते हैं। आतंक के कार्यों को रोकने के लिए समुचित तंत्र बनाया जाना आवश्यक है।

कोष्ठक 16.01

आतंकवादी कार्यों में बहुधा व्यवस्थित योजना होती है, जो किसी छोटी-मोटी सैनिक कार्रवाई के समान ही होती है। अभिप्रेत शिकार (अथवा अन्य आतंकवादी योजना) का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है। लोगों की सभी आदतों और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आतंकवादियों को अपराध स्थल तक आने-जाने के लिए परिवहन की जरूरत होती है। उन्हें अपने पास जाली पहचान-पत्र, हथियार और धन रखने की जरूरत होती है। अपने आपराधिक कार्य में सफल होने के लिए उन्हें प्रचार एकक की जरूरत होती है। सभी प्रमुख आतंकवादी समूह का केंद्रीय कमांड होता है, जो या तो अत्यंत व्यावसायिक होता है या फिर शौकिया। आतंकवाद हमेशा सुधार से तत्त्व को अपनाए रखते हैं। अंत में अत्यंत सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना भी सभी स्थितियों में खरी नहीं उतर सकती।

व्यक्ति या समूह हिंसा को तब अपनाते हैं, जब उनकी वैध माँगें वैध तरीकों से पूरी नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब

i) भ्रष्टाचार होता है

ii) अनाचार होता है

iii) शोषण होता है

iv) कानून का पालन करने वाले नागरिकों की रक्षा करने में राज्य असफल रहता है।

तब लोगों द्वारा अपनी माँगों को पूरा करवाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाने की संभावना होती है। जब परंपरागत तरीके जैसे – विरोध, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि का प्रयोग प्रभावहीन हो जाता है, तब ग़ैर-परंपरागत तरीके जैसे – हत्या, आगजनी, बैंक डकैती, व्यक्तिगत सम्पत्ति की लूटपाट, अपहरण आदि अपनाए जाते हैं। इसके अलावा, बाद में लोगों को आतंकित किया जाता है और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्याएँ की जाती हैं।

बोध प्रश्न 1

1) पाँच वाक्यांश लिखिए जिन्हें हिंसा व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

.....

.....

.....

.....

.....

2) कोई एक समूह हिंसा का सहारा कब लेता है? पाँच पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

16.4.1 हिंसा और कानून

इस बात के काफी प्रमाण हैं कि असंतुलित विकास के फलस्वरूप तनाव, संघर्ष और हिंसा होती है। पिछले वर्षों में कई देशों में विद्रोह की घटनाएँ यह बताती हैं कि सामाजिक परिवर्तन की द्रुतगति से जुड़ी हिंसा जुड़ी रहती है। सामाजिक परिवर्तन की उच्च दर अस्थिरता से जुड़ी है। सामाजिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप समाज के अधिकारों के वितरण में असंतुलन हो सकता है इसलिए समाज में कुछ लोगों पर इस परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

सोचिए और करिए 2

यदि आपने हिंसा और आतंकवाद पर बनाया गया टी.वी. कार्यक्रम अथवा चलचित्र देखा हो या इस विषय पर उपन्यास पढ़ा हो, तो यह नोट कीजिए कि कानून के दुश्मन व्यक्ति किस प्रकार आतंकवाद और हिंसा में लिप्त रहते हैं इन घृणित कृत्यों को रोकने में कानून क्या करता है, आदि अपनी बातों को लिखिए और यदि संभव हो तो अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ उसका मिलान कीजिए।

कभी उपनिवेश रहे देशों को निम्नलिखित समस्याएँ विरासत में मिली हैं :

i) गरीबी

ii) असमानता, और

iii) पैतृक संपत्ति के रूप में अवसर का अभाव।

यह विरासत लम्बे समय तक चलती रही है क्योंकि जिस व्यवस्था को हमने पाया था, उसके ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं था। इसने आभिजात्यों द्वारा शोषण को और बढ़ाया, जिन्होंने नये राजनीतिक ढाँचे में शक्ति प्राप्त कर ली थी। निर्धनता, असमानता और शोषण ज्यों का त्यों बना रहा। नये राजनीतिक सत्ता गुट ने नई राजनीतिक व्यवस्था में शोषण को वैध बना कर दिया। शक्ति और सम्पत्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में रही।

असमान समाज में (जनजाति, जाति, वर्ग, धार्मिक अथवा अन्य सम्प्रदायों में विभाजित) असंतुलित विकास का अभिप्राय नौकरियों, सेवाओं, शैक्षिक और सामाजिक सुविधाओं में असमान अवसर है। इन कारकों से समूहों और वर्गों में संघर्ष को बढ़ावा मिला और व्यक्तिगत कुंठा प्रबल हुई। इससे धनी अधिक धनवान हुए हैं। मध्य वर्ग ने अपने कार्यकलापों के क्षेत्र का विस्तार किया और ग़रीब या तो ग़रीब ही रहे या कुछ मामलों में अधिक ग़रीब हुए। यह धनी और निर्धन के बीच बढ़ती हुई खाई के कारण हुआ।

शोषण और किसी भी प्रकार का भेदभाव रोकने के लिए नियमनकारी कानूनों और संविधान के उपबंधों से भी अधिक लाभ नहीं पहुँचा है। पंजाब, असम, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्रों में नक्सलवादी समस्या असंतुलित विकास के विरुद्ध लोगों द्वारा हथियार उठाने के उदाहरण हैं। आरक्षण नीति ने भी बहुत राज्यों में स्थिति और भी अधिक खराब कर दी है और वहाँ हिंसा की वारदातें हुई हैं।

16.5 जातीय पहचान और हिंसा

ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि हिंसा किसी समूह विशेष पर होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएँ हैं। वे असमानताएँ यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि श्वेतों की अपेक्षा अश्वेतों में अपराध की उच्च दर पाई जाती है। इसी प्रकार

भारतीय कारावासों में यह देखा जा सकता है कि अधिकांश कैदी निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं। इसके दो अर्थ हो सकते हैं :

i) जो समाज के निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के हैं, वे अन्य की अपेक्षा आपराधिक कार्यों में अधिक शामिल होते हैं;

ii) अमीरों की बजाय ग़रीबों पर कानून अधिक सख्ती में लागू किया जाता है।

यदि हम भारत की स्थिति पर विचार करें तो हमारे यहाँ जातीय हिंसा के ठोस उदाहरण हैं। यह खास तौर पर साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति में देखा जाता है, जो देश के भिन्न-भिन्न भागों में होते ही रहते हैं। दंगे बहुधा हिन्दुओं और मुसलमानों, हिन्दुओं और सिखों, शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच होते हैं। इसके अलावा उनके अंतरजातीय और अंत:जातीय भी होते रहते हैं। इस संघर्षों के दौरान जान और माल की बहुत अधिक क्षति होती है।

समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों में मतभेद होने पर हिंसा हो सकती है। यह तब होता है जब वे अपने को असुरक्षित महसूस करते हों, अथवा उन्हें अन्य समूह (समूहों) द्वारा शोषित किया जा रहा होता है। एक वर्ग के व्यक्तियों को दूसरे वर्ग द्वारा मारे जाने से हमें हिंसा जातीय स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे जाता है।

16.5.1 राज्य हिंसा और मानव अधिकार

आमतौर पर राज्य द्वारा जो हिंसा की जाती है, उसे वैधता का जामा पहनाया जाता है। कुछ परिस्थितियों में हिंसा के कुछ रूपों की अनुमति विभिन्न समय और स्थानों पर हैं। हिंसा का औचित्य बहुधा बहाना होता है। बहुधा यह बताया जाता है कि आतंकवादियों अथवा नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और उनमें से इतने मारे गए। दूसरे, यह भी आरोप लगाया जाता है कि ऐसी मुठभेड़ें नकली होती हैं। व्यक्तियों अथवा समूहों को पर्याप्त कारण के बिना मारा जाता है। राज्य में हिंसा होने पर खास तौर पर पुलिस हमेशा कुछ न कुछ बहाना ढूँढ लेती है।

निरंकुश राज्य हिंसा को अपनी प्रणाली के एक अंग के रूप में प्रयोग करते हैं। लोकतंत्रात्मक राज्यों में संकट के समय यह स्थिति को निरंकुश में लाने के एक साधन के रूप में काम करता है। संकट के दौरान लोकतंत्रात्मक राज्यों में भी लगभग सभी मौलिक अधिकारों को निलम्बित कर दिया जाता है और मानव अधिकार के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। अंतरराष्ट्रीय परिपाटी को एक ओर रख दिया जाता है। परिस्थिति का आकलन आम तौर पर राज्य द्वारा ही किया जाता है। संकट के बहाने से पुलिस और सेना की सहायता से हिंसा का प्रयोग करके सत्ता को मिली चुनौती को ध्वस्त कर दिया जाता है। लोकतंत्रात्मक देशों में अधिकांश संविधानों में ऐसी व्यवस्था होती है, जिससे सरकार को विशेष शक्तियाँ मिल जाती हैं। वास्तव में इससे मानव अधिकारों के संरक्षण के सभी नीति-नियम निष्फल हो जाते हैं।

1975-77 के दौरान लगी आपातस्थिति, पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार (1984)– ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर बहुत चर्चा हुई है। केंद्रीय सरकार के ये कार्य आतंकपूर्ण समझे जाते हैं। समय-समय पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है और व्यक्तियों तथा समूहों के मानव अधिकार सरकार द्वारा छीन लिए जाते हैं।

16.5.2 हिंसा से निपटने के उपाय

आतंकवादियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय गतिविधियाँ तेज होने के कारण इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए गए। ये हैं :

i) आतंकवाद के निवारण और दंड व्यवस्था के लिए 1937 का सम्मेलन।

ii) आतंकवाद के कार्यों व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के सम्बद्ध लूट-खसोट के निवारण तथा दंड व्यवस्था पर 1971 का सम्मेलन।

iii) आतंकवाद सहित अंतरराष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध के निवारण और दंड व्यवस्था पर 1773 का सम्मेलन।

उसी वर्ष में यूरोप में भी सम्मेलन हुए। (i) आतंकवाद के दमन पर, (ii) बंधक बनाए जाने के विरुद्ध 1979 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। इसके अलावा हवाई जहाजों के अपहरण पर भी सम्मेलन हुए थे। वे हैं –

i) टोक्यो सम्मेलन, 1969

ii) हेग सम्मेलन

iii) वायुयान में अपराध, वायुयान को बंधक बनाने की समस्या से निपटने के लिए मॉट्रियल सम्मेलन और वायु में और भूमि पर अपराध भी शामिल हैं तथा यह राज्य को अपराध रोकने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति भी प्रदान करता है।

कोष्ठक 16.02

परमाणु आतंकवाद केवल राष्ट्र के लिए ही ख़तरा नहीं है। अपितु यह बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय संकट पैदा कर सकता है। परमाणु ब्लैकमेल की सम्भावना बहुत ही नाटकीय है। फिर भी अन्य आयुध भी समान रूप से घातक हैं : इनमें विष जैसे OPAS। स्नायु गैस, जैसे मोनोफ्लूओरोलियेथिक कम्पाउंड (BTX) बड़ी घातक है, भले ही यह किसी भी तरीके से शरीर में प्रवेश करे।

ऐंथ्रेक्स, बुबोनिक प्लेग, एनसिफैलाइटिस और सित्ताक्रसिस जैसी घातक महामारियाँ रासायनिक आतंकवाद द्वारा पैदा की जा सकते हैं। इन रोगों की महामारी दूर-दूर तक फैल सकती है। परंतु इन आयुधों का प्रयोग आतंकवादियों के बजाय किसी पागल व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है।

आतंकवादी चोरी से या उपहार में परमाणु आयुध (बम) प्राप्त कर सकते हैं। आतंकवादियों के लिए दूसरी संभावना यह है कि वे सही विशेषज्ञता वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सहायता से परमाणु बम बना सकते हैं। इस प्रकार के परमाणु आतंकवाद की सम्भावना यह है कि इससे परमाणु युद्ध हो सकता है। इसलिए अभी तक इसका परिहार किया गया है।

बोध प्रश्न 2

1) राज्य हिंसा और मानव अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपना उत्तर पाँच पंक्तियों में दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) आतंकवाद को कम करने अथवा इसके उन्मूलन के लिए विभिन्न सम्मेलन किए गए और इसमें से एक सम्मेलन था (सही उत्तर पर टिक (✓) का निशान लगाइए)

i) आतंकवाद के निवारण और दंड व्यवस्था के लिए 1937 का सम्मेलन

ii) हिंसा और आतंकवाद के विरुद्ध 1990 कानून

iii) कोई भी सही नहीं है

iv) दोनों सही हैं।

16.5.3 आतंकवाद से निपटने के उपाय

भारत ने ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए एक कानून बनाया है जो ''आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1985'' के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों, इससे संबंधित कार्यों के निवारण के लिए तथा उसका सामना करने के लिए विशेष प्रावधान है। अधिनियम आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तनकारी एजेंसियों को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। अधिनियम के अधीन मुख्य प्रावधान हैं : जो भी आतंकवादी कार्य करता है और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण होता है, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। आतंकवाद की अन्य गतिविधियों के मामले में कारावास की अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं होगी। यह आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। षड़यंत्र के मामले में न्यूनतम कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी। इसे जुर्माना सहित आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

जहाँ तक विघटनकारी गतिविधियों का प्रश्न है, आतंकवादी कार्य करने के षड़यंत्र करने के लिए भी दंड वैसा ही है। विघटनकारी कार्यकलाप, चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष जो भारत की प्रभुसत्ता अथवा क्षेत्रीय एकता को प्रभावित करे, कार्य अथवा भाषण द्वारा सत्तातंरण अथवा पृथकतावादी आदि हो, इन्हें विघटनकारी गतिविधियों के रूप में समझा जाता है। केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को रोकने अथवा उनका सामना करने के लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम की धारा-5 केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को आतंकवादियों तथा विघटनकारी गतिविधियों से निपटने के लिए व्यापक अधिकार देती है। अधिनियम की धारा-6 में आयुध अधिनियम 1959, विस्फोटक अधिनियम 1884 अथवा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1952 के उल्लंघन के लिए व्यापक दंड का प्रावधान किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इन उपबंधों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर उसे दंड दिया जा सकता है, जो 10 वर्ष तक अथवा आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना भी।

निर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष सभी कानूनी कार्रवाइयाँ कैमरे की नज़र में रहेंगी। गवाहों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जो भी रिकार्ड जनता की पहुँच के भीतर हों उनमें गवाहों के नाम और पते नहीं दिए जाएँगे। संक्षेप में, यह उल्लेख किया जाता है कि अधिनियम में आतंकवादियों और विघटनकारी गतिविधियों की समस्या से निपटने के लिए काफी सख्त उपायों की व्यवस्था की गई है।

16.6 सारांश

इस इकाई में हमने हिंसा और आतंकवाद के विभिन्न रूपों की चर्चा की है। हमने हिंसा की अवधारणा और आतंकवाद की अवधारणा से शुरू किया। इसके बाद हिंसा और आतंकवाद के कारणों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात् हमने हिंसा और आतंकवाद से रूपों का विश्लेषण किया। इसके आगे हमने राजीनीति और आतंकवाद का विवेचन किया। इसके बाद हमने हिंसा

और कानून के संबंध में समाज के असंतुलित विकास पर चर्चा की। तदन्तर हमने सजातीय पहचान और हिंसा की चर्चा की। अन्य तीन पहलुओं जिनकी हमने चर्चा की, वे हैं – राज्य, हिंसा और मानव अधिकार, हिंसा से निपटने के उपाय और अंत में आतंकवाद का सामना करने के उपाय बताए गए।

16.7 शब्दावली

वंचन या वचना (Deprivation) : किसी ऐसी वस्तु का न होना जिसे आम ज़रूरत में समझा जाता है।

शोषण (Exploitation) : उन लोगों, समूहों और समुदायों से जो कमजोर हैं, अनुचित लाभ लेने के लिए शक्ति और बुद्धि का उपयोग।

अपहरण (Kidnapping) : किसी व्यक्ति को जबरदस्ती और ग़ैर-कानूनी रूप से उठाना और उसे आपराधिक हिरासत में रखना।

असंतुलित विकास (Maldevelopment) : असमान समाज के संदर्भ में इसका आशय है – नौकरी, सेवाओं आदि के लिए प्रतियोगिता में असमान अवसर हैं।

16.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) सड़कों पर हिंसा
   ii) बाहरी आक्रमण
   iii) वाहन दुर्घटनाओं से होने वाली हिंसा
   iv) संचार माध्यमों में हिंसा
   v) सामाजिक हिंसा

2) वैध माँगे तरीकों से पूरी नहीं होने पर समूहों में व्यक्त हिंसा पर उतर आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कानून का पालन करने वाले नागरिकों की हिफाजत करने में सरकार की तरह से कमी होती है, तो हिंसा विभिन्न तरीकों से भड़क सकती है।

बोध प्रश्न 2

1) राज्य की ओर से की गई हिंसा को वैधता का आवरण प्राप्त होता है। निरंकुश राज्य अपनी प्रणाली के अंग के रूप में हिंसा का प्रयोग करते हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में इसका प्रयोग संकट के समय किया जाता है। इस प्रकार राज्य द्वारा मानव अधिकारों पर कभी-कभी आघात किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

कैवन, आर.एस. तथा टी.एन. फर्डिनैंड (1975), *जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी,* जे.बी. लिपिनकॉट : फिलाडेल्फिया।

गर्र, टी.आर., (1970), *वाइ मैन रैबल,* प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रैस : प्रिंसटन।

फैनन, फ्रैण्ट (1965), *द रैविड ऑफ़ द अर्थ,* पेंग्विन लंदन।

मरिकस, एस.जे. (सं.) (1988), *पॉवर्टी इन इंडिया,* ज़ेवियर बोर्ड : त्रिवेन्द्रम।

भारत सरकार (2000), वार्षिक प्रकाशन, *क्राइम इन इण्डिया,* गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो : नई दिल्ली।

मैकेन्ज़ी, डब्ल्यु, जे.एम. (1975), *पॉवर वॉयलन्स एण्ड टैरॅर : मॉटिफ एण्ड मोटिवेशन्ज़,* यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया प्रैस : बक्रिले एण्ड लॉस एन्जेल्स।

टीटीके हॉस्पिटल (1989), *एडिक्शन टु एल्कोहल एंड ड्रग्स इलेस्ट्रेटेड गाइड फॉर कम्युनिटी वर्कर्स,* टीटीके : मद्रास।

डाँडेकर, वी.एम. एवं एन. रथ (1971), 'पॉवर्टी इन इण्डिया, डाइमैन्शंज़ एण्ड ट्रेण्ड्ज़', *इकॉन्मिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,* जनवरी 2, 1971 तथा जनवरी 9, 1971।

यू.एन.डी.पी. *ह्यूमन डिवैलॅपमण्ट रिपोर्ट* (2003), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस : नई दिल्ली।

लेविस, ऑस्कर (1960), *टैपोज़ालान : ए केस स्टडी इन कल्चरल एन्थ्रोपॅलोजी,* होल्ट, आर. डब्ल्यु. : न्यूयार्क।

लैकअर, वाल्टर (1987), *दि राज ऑफ़ टैरॅरिज़्म,* जोर्ज वीडन फील्ड एण्ड निकलसन लिमिटेड : लंदन।

सरकार, सी. (1987), *जुवेनाइल, डेलिंक्वेंसी इन इंडिया''* दया पब्लिशिंग हाउस : दिल्ली।

सिंह, गुरमीत (1984), ''एल्कोहलिज़्म इन इंडिया'' ऐलन एंड डी.ए. डिसूजा (सं.) कृत *साइकिएट्री इन इंडिया,* पृ. 240-251 भालानी बुक डिपो : मुंबई।

स्वामी, डी.एस. और ए. गुलाटी (1986), ''फ्रॉम प्रॉसपेरिटी टू रिट्रोग्रेशन : इंडियन कल्टीवेटर्स ड्यूरिंग द 1970'' *ई.पी. डब्ल्यू.* 21 जून, 88, पृष्ठ 63।

_____, (1989), एलकोहलिज़्म एंड ड्रग डिपेन्डेंसी, टीटीके : मद्रास।

_____, (2001), *क्राइम इन इण्डिया,* गृह मंत्रालय : नई दिल्ली।